<u>आयुक्त न्यायालय, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर</u>

आई.सी.डी.एस. अपील वाद संख्या–146/2022
शकुन्तला देवी
बनाम
राज्य सरकार व अन्य

<u>आदेश</u>

WEB COPY NOT OFFICIAL

अनुसूची 14– फार्म संख्या–563

आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ ।
20.03.2023	यह अपीलवाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया के आदेश ज्ञापांक–1180 दिनांक–07.07.2022 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर दायर किया गया है। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को अधिग्रहण के बिन्दु पर सविस्तार सुना। विद्वान सरकारी अधिवक्ता के द्वारा सुनवाई के दौरान बताया गया कि प्रश्नगत मामला सेविका द्वारा कार्य में अनियमितता बरतने के आधार पर चयनमुक्ति से संबंधित है, जिसको सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। सुनवाई के दौरान आवेदिका (श्रीमती शकुन्तला देवी) के विद्वान अधिवक्ता ने भी बताया कि प्रश्नगत मामला सेविका द्वारा कार्य में अनियमितता बरतने के आधार पर चयनमुक्ति से संबंधित है, जो इस न्यायालय में पोषणीय नहीं है। आवेदिका (श्रीमती शकुन्तला देवी) को उनके विद्वान	

	अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता को सुनने एवं वाद अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत मामले में वादी (शकुन्तला देवी) को आँगनबाड़ी केन्द्र संख्या–22, संबद्ध केन्द्र संख्या–21 के विरुद्ध राशि के दुरुपयोग/गबन संबंधी आरोप के लिए जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा चयनमुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएँ (ICDS) निदेशालय (समाज कल्याण विभाग) बिहार, पटना के पत्रांक 2555 दिनांक 15.04.2021 में अंकित है कि ''***ऑगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान प्राप्त अनियमितता के विरुद्ध जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा पारित चयनमुक्ति आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील 45 दिनों के अंदर निदेशक के समक्ष तथा 60 दिनों के अंदर द्वितीय अपील विभागीय सचिव/अपर मुख्य सचिव के समक्ष की जायेगी।***'' उपर्युक्त से स्पष्ट है कि ऐसे मामलों को सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में प्रस्तुत वाद को क्षेत्राधिकार से बाहर का पाते हुए अधिग्रहण के बिन्दु पर अस्वीकृत किया जाता है। **लेखापित एवं संशोधित** **आयुक्त** **आयुक्त**	

WEB COPY NOT OFFICIAL